न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00060

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

सम्पतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बेरा बेरिया, रड़ावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

बनाम

1. फौजुसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
2. मृतक रूपसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह के कायम मुकाम
   1. मृतक मनोहर सिंह पुत्र स्व. रूपसिंह के कायम मुकाम
      1. सीताकंवर पत्नी स्व. मनोहरसिंह
      2. तेजपालसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह
      3. केसरसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बेरा बेरिया, रड़ावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
      4. सुमनकंवर पुत्री स्व. मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बेरा बेरिया, रड़ावास हाल निवासी खारा बेरा, तहसील रोहट जिला पाली
   2. अर्जुनसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
   3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
   4. पपुसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
   5. इन्द्रकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बेरा बेरिया, रड़ावास तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली
   6. कालीकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बेरा बेरिया, रड़ावास हाल निवासी सिरयारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. बद्रीसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह के कायम मुकाम
   1. भंवरीकंवर पत्नी स्व. बद्रीसिंह
   2. सुमेरसिंह पुत्र स्व. बद्रीसिंह
   3. [illegible]सिंह पुत्र स्व. बद्रीसिंह
   4. [illegible]िकमसिंह पु[illegible] बद्रीसिंह
4. हुक्मसिंह पुत्र प्रे[illegible] जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बेरा बेरिया, रड़ावास,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली
5. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी
रेस्पोडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री हेमाराम परिहार

–: निर्णय :–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

दिनांकः– 28.11.19

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम रड़ावास के नामान्तरकरण संख्या 222 दिनांक 25.01.1983 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रडावास, पटवार हल्का रडावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण के पिता श्री प्रेमसिंह की कब्जा–काश्त सुदा सामलाती खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जो खसरा नम्बर 494 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.6694 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 496 रकबा 5.1850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 499 रकबा 4.2745 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 रकबा 3.7180 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 516 रकबा 5.2103 हैक्टेयर कुल सात खसरों की सामलाती स्थित है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 3 व 4 पिता श्री प्रेमसिंह के देहान्त के पश्चात तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रेमसिंह का जो फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया, उसमें अपीलाण्ट का नाम सम्पतसिंह के स्थान पर चम्पालाल अंकित कर दिया, जबकि अपीलाण्ट का नाम जन्म से ही सम्पतसिंह है, चम्पालाल कभी रहा ही नहीं। पटवारी हल्का एवं अन्य राजस्व कार्मिकों ने उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व न तो कोई जांच की, न ही प्रेमसिंह के विधिक वारिसानों को कोई नोटिस दिया एवं न ही उनको सुनवाई का अवसर दिया। जबकि कोई नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान दिए हुए है। अपीलाण्ट एक अनपढ़ व्यक्ति है तथा उक्त समस्त आराजी उनकी सामलाती भूमि है, इस कारण उसे कभी जैर अपील नामान्तरकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब राज्य सरकार द्वारा आपदा अनुदान की राशि प्राप्त करने एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अपीलाण्ट को सर्वप्रथम नामान्तरकरण की आवश्यकता पड़ी तो वह हल्का पटवारी के पास गया, जब उसे जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हुई। तो उसने नामान्तरकरण की नकलें लेकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील न्यायालय में पेश की है। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद सुनाई फरमाकर, जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज चम्पालाल ही सम्पतसिंह है। जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर चम्पालाल की जगह सम्पतसिंह किया जाता है तो उन्हें को आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1983 में दर्ज किया है तथा अपीलाण्ट ने इतने वर्षो के पश्चात अपील न्यायालय में पेश की है, लेकिन उक्त नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट का नाम चम्पालाल न होकर सम्पतसिंह है तथा उसे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। उसके समस्त दस्तावेज भी इसी नाम से बने है। उसके इस तथ्य के संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने भी अपनी सहमति दी है तथा अपीलाण्ट का नाम चम्पालाल न होकर सम्पतसिंह है, इसकी ताईद में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट के राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति एवं वोटर कार्ड की छाया प्रति पेश की है। जिनसे भी यही प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट का नाम चम्पालाल न होकर सम्पतसिंह ही है। कोई भी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही को करना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम रड़ावास के नामान्तरकरण संख्या 222 दिनांक 25.01.1983 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक प्रेमसिंह के विधिक वारिशान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली